अध्याय ।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2014-15 और वि.व. 2013-14 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2014-15	**वि.व. 2013-14**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	*6,95,792*	*6,38,596*
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*[1]	*5,49,343*	*5,00,400*
iii. *गैर-कर प्राप्तियां*	*4,19,982*	*3,93,410*
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	*1,600*	*3,618*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[2]	37,740	29,368
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[3]	26,547	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ[4]	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**59,49,200**	**55,84,907**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखा से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व. 2013-14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 2013-14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 59,49,200 करोड़ हो गई। वि.व. 2014-15 में इसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल हैं।

1 अप्रत्यक्ष करों को माल एवं सेवाओं, यथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि पर उदग्रहित किया जाता है;

2 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है;

3 संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली तथा दिए गए अग्रिम;

4 आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां;

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं:

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत **निगम कर;**

ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);

iii. **अन्य प्रत्यक्ष करों** में धनकर[5], प्रतिभूति लेनदेन कर[6] आदि शामिल हैं।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
					₹ करोड़ में
1. . प्रत्यक्ष कर संग्रहण	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792
2 प्रतिदाय	75,169	93,814	83,766	89,060	1,12,163
3. प्रतिदाय पर ब्याज	10,499	6,486	6,666	6,598	5,332
					संख्या लाख में
4. रिकार्ड पर निर्धारिती	335.8	363.5	373.8	470.3[7]	607.6[7]
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	4.6	3.7	3.1	2.9	5.35
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	3.9	4.1	2.9	4.2	4.96

स्रोत: क्रम सं. 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 6-डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स), सीबीडीटी।

कर प्रशासन का विवरण *परिशिष्ट-1* में दिया गया है।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आय कर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

5 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कतिपय परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

6 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।

7 159.93 लाख मामले (वि.व. 2013-14) और 169.35 लाख मामले (वि.व. 2014-15) शामिल हैं, जिनमें गैर शून्य 26 एएस मौजूदा है किंतु आयकर विभाग के रिकार्ड में कोई आईटीआर दर्ज नहीं है।

1.3.2 31 मार्च 2015 को आयकर विभाग की समग्र स्टाफ संख्या और कार्यरत स्टाफ संख्या क्रमश: 78,544 तथा 41,304 हैं। अधिकारियों[8] की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमश: 10,863 और 8,863 है। वर्ष 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 4,147.6 करोड़[9] हैं।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट अनुमानों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.3 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्योरे दर्शाती है।

तालिका 1.3: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	ब.अनु.	सं. अनु.	वास्तविक	वास्तविक माइनस ब.अनु.	वास्तविक माइनस सं. अनु.	ब.अनु. के *प्रतिशत* के रूप में अन्तर	सं. अनु. के *प्रतिशत* के रूप में अन्तर
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.7	शून्य
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4

टिप्पणी: ब. अनु. और सं. अनु. आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि.व. 2010-11 में बजट अनुमानों से ज्यादा था जबकि यह वि.व. 2011-12 से वि.व. 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों से कम था। संशोधित प्राक्कलन सामान्यत: उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 *प्रतिशत* से 0.4 *प्रतिशत* के बीच रहा। वि.व. 2014-15 में प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण संशोधित अनुमानों से ₹ 9,836 करोड़ कम था।

8 प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपरडीआईटी, जेसीआईटी/ जेडीआईटी, डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

9 वि.व. 2014-15 के लिए संघ वित्त लेखे

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान सकल कर प्राप्तियों[10] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष करो में वृद्धि (₹ करोड़ में)

वि.व.	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.2	77,95,314	5.7
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2015 को प्रकाशित जीडीपी पर प्रैस नोट। इसने दर्शाया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए जीडीपी के आँकड़े न्यू सीरिज अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2014-15 के और आँकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए जीडीपी के आँकड़े आधार वर्ष 2004-05 की वर्तमान बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आँकड़े सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किए जा रहे हैं और यें आंकड़े वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतिय तुलना के लिए है।

1.5.2 हमने पाया कि वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में प्रत्यक्ष कर ₹ 57,196 करोड़ (9.0 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया था। तथापि, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2013-14 में 56.1 *प्रतिशत* से वि.व. 2014-15 में 55.9 *प्रतिशत* की मामूली कमी आई है।

1.5.3 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को निरपवाद रूप से दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि
2010-11	4,45,995	18.1	2,98,688	22.1	1,39,102	13.6
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6

10 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित है।

1.5.4 हमने पाया कि सीटी की वृद्धि में वि.व. 2013-14 में 10.8 *प्रतिशत* से वि.व. 2014-15 में 8.7 *प्रतिशत* की कमी आई। आईटी की वृद्धि में वि.व. 2013-14 में 20.8 *प्रतिशत* से वि.व. 2014-15 में 8.6 *प्रतिशत* तक अत्यधिक गिरावट आई। सीटी और आईटी की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान क्रमश: 9.5 *प्रतिशत* और 16.7 *प्रतिशत* थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनो के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} हैं। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है। वि.व. 2014-15 के दौरान निगमित तथा गैर निगमित निर्धारितियों का स्वैच्छिक अनुपालन वि.व. 2013-14 में 84.6 *प्रतिशत* की तुलना में 83.2 *प्रतिशत* था।

1.5.6 तालिका 1.6 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान निगमित निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.6: कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	अतिप्रभार तथा उपकर	अन्य प्राप्तियां	संग्रहण
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	16,846	20,872	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	24,309	19,285	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	16,804	23,790	4,20,147
2013-14	83,443	2,45,350	18,852	60,426	24,175	29,605	4,61,851
2014-15	87,858	2,72,193	23,025	68,604	26,514	34,778	5,12,972

टिप्पणी: उपरोक्त आंकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ो में प्रतिदाय भी शामिल हैं।

1.5.7 टीडीएस संग्रहण कुल कॉरपोरेट संग्रहण से वि.व. 2013-14 में 18.1 *प्रतिशत* से घटकर वि.व. 2014-15 में 17.10 *प्रतिशत* हो गया जबकि नियमित निर्धारण कर कुल कॉरपोरेट संग्रहण से वि.व. 2013-14 में 13.1 प्रतिशत से सीमान्त रूप से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 13.4 प्रतिशत हो गया। अग्रिम कर वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में 53.1 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

1.5.8 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.7 गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	अतिप्रभार तथा उपकर	अन्य प्राप्तियां	संग्रहण
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	5,498	750	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	5,120	1,420	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	6,000	2,002	2,16,785
2013-14	1,65,104	47,172	25,271	12,102	7,629	2,475	2,59,753
2014-15	1,71,248	54,332	29,025	11,585	8,924	11,373	2,86,487

टिप्पणी: उपरोक्त आंकडे संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ो में प्रतिदाय भी शामिल हैं।

1.5.9 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि.व. 2013-14 में कुल गैर-कॉरपोरेट के संग्रहण के क्रमश: 63.6 *प्रतिशत* और 4.7 प्रतिशत से घट कर वि.व. 2014-15 में क्रमश: 59.8 प्रतिशत ओर 4.0 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि.व. 2013-14 में कुल गैर कॉरपोरेट संग्रहण के 18.2 *प्रतिशत* से थोड़ा बढ़ कर वि.व. 2014-15 में 19.0 *प्रतिशत* हो गया।

1.5.10 नीचे चार्ट 1.1 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण[11] और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

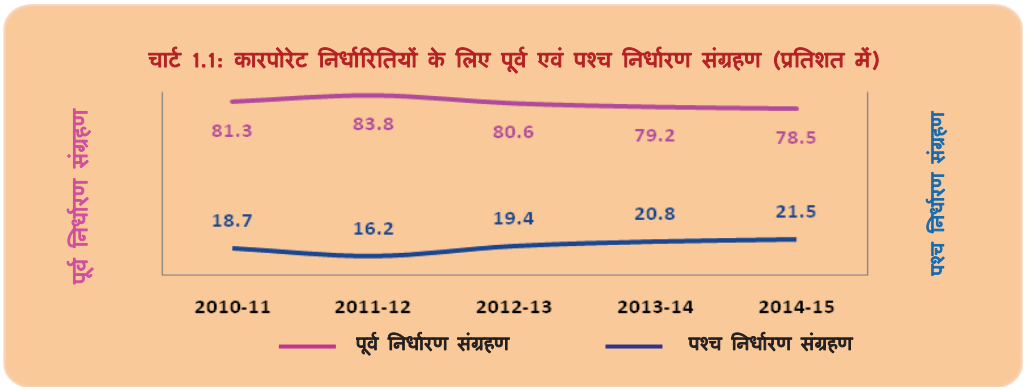

1.5.11 नीचे चार्ट 1.2 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण[11] और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

11 टीडीएस, अग्रिमकर, स्व-निर्धारण कर और इनके प्रति उद्ग्रहीत आनुपातिक अधिभार एवं उपकर

चार्ट 1.2: गैर कारपोरेट निर्धारितियों के लिए पूर्व एवं पश्च निर्धारण संग्रहण (प्रतिशत में)

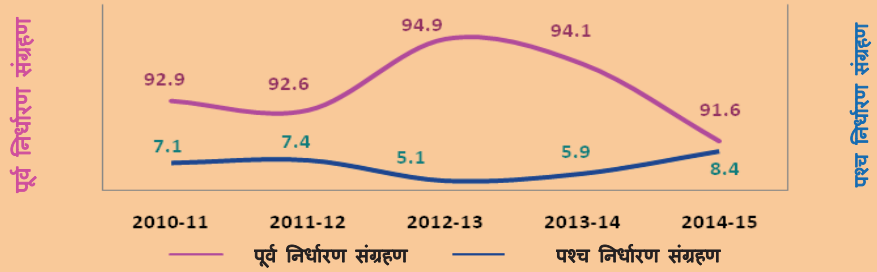

1.5.12 स्वैच्छिक अनुपालन में कॉरपोरेट निर्धारिती के संबंध में वि.व. 2011-12 से निरंतर कमी आई जबकि गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में वि.व. 2010-11 से वि.व. 2012-13 के दौरान वृद्धि हुई और इसके बाद गिरावट आई।

1.6 छोड़ा गया राजस्व

1.6.1 किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना हैं। बढ़े हुए राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर अधिमान" (छोड़ा गया राजस्व) कहा जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई विवरणियों के आधार पर प्रमुख करों के संबंध में छोडे गये राजस्व के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.8 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान कर छूटों के कारण छोड़े गये राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.8: छोड़ा गया राजस्व				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	कुल छोड़ा गया कर	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2010-11	94,738	1.2	21.2	11.9
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,02,833	0.8	14.8	8.3

टिप्पणी: वि.व. 2014-15 को छोड़कर, छोड़े गए राजस्व के आँकड़े, प्राप्ति बजट के अनुसार वास्तविक है और इनमें धर्मार्थ संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। वि.व. 2014-15 के लिए छोड़े गए राजस्व के आँकड़े प्रक्षेपित है। तथापि, प्राप्ति बजट 2015-16 के अनुसार, नवम्बर 2014 तक धर्मार्थ संस्थानों के संबंध में इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या 99,076 है और धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इन संस्थाओं द्वारा लगाई गई राशि ₹ 2,25,472 करोड़ है।

1.6.4 कर छूट के कारण छोड़ा गया राजस्व पिछले वर्षों में मात्रा की दृष्टि (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) से बढ़ रहा है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87$^{वीं}$ रिपोर्ट (15$^{वीं}$ लोकसभा) में देखा कि सरकार ने 'यद्यपि विलम्बित रूप से' इस दिशा में कुछ उपाय प्रस्तावित किए थे किंतु यह महसूस किया गया कि प्रमाणरहित कर छूटें/कटौतियों को हटाने के लिए सरकार को कुछ अंतरिम/उपायों पर विचार करने की आवश्यक्ता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट में, डीओआर/सीबीटीडी ने बताया कि वित्त मंत्री ने अपने 2015 के बजट भाषण में घोषित किया था कि कॉरपोरेट के लिए छूटों को तर्कसंगत तरीके से अगले चार वर्षों में हटाया जायेगा।

1.7 कर आधार का विस्तारण और गहनता

1.7.1 आईटीडी के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हे, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक सूचना विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की सूचना शामिल करना है। आईटीडी के 2014-15 की केन्द्रीय कार्य योजना में, कर आधार के विस्तारण के लिए मुख्य परिणाम क्षेत्र निम्न हैः

क. यह सुनिश्चित करना कि एआईआर विवरणियों के लिए बाध्यकारी सभी प्राधिकरणों/संस्थानों की पहचान उचित रूप से और समय के अन्दर की गई है;

ख. एआईआर और सीआईबी तंत्र के तहत एकत्रित किए जाने वाले डाटा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रभावी कदमों को उठाना;

ग. गैर पैन सूचना में पैन पोपुलेट करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाना और क्षेत्रीय फॉर्मेशनों द्वारा उनकी सामयिक उपयोगिता;

घ. दोषी सहकारी बैंको/क्रेडिट सोसायटियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रणाली निदेशालय द्वारा पैन सूचना फैलाना और गैर-पैन सूचना संसाधित करना;

ङ. केन्द्रीत कर आधार के विस्तारण और गहनता के लिए उपयुक्त पायलेट परियोजनाओं को लाना;

च. सूचना के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान के अंतर्गत प्राप्त हुए डाटा को फैलाना और सामयिक कार्रवाई करना।

1.7.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कॉरपोरेट[12] निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती **(ऑकड़े लाख में)**

वित्तीय वर्ष	क[13]	ख$_1$[14]	ख$_2$[15]	ग[16]	घ[17]	कुल
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55

स्रोतः महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.3 गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2013-14 में 304.03 लाख से बढ़ कर वि.व. 2014-15 में 360.55 लाख हो गई, इसमें 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

12 स्रोतः महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग

13 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ख2" निर्धारिती – (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

16 श्रेणी "ग" निर्धारिती - ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

17 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.7.4 निम्नलिखित तालिका 1.10 विभिन्न श्रेणियों में कॉरपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.10: कॉरपोरेट निर्धारिती **(आँकड़े लाख में)**

वित्तीय वर्ष	क[18]	ख$_1$[19]	ख$_2$[15]	ग[16]	घ[17]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00	6.75	0.69	10.16

स्रोतः महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विग, नई दिल्ली

1.7.5 कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये वि.व. 2013-14 में 6.36 लाख से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 6.75 लाख हो गई। वि.व. 2013-14 में कॉरपोरेट निर्धारितियों (6.75 लाख) की संख्या कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी)[20] के पास दर्ज कार्य कर रही कंपनियों (9.52 लाख) की संख्या से अलग है। क्योंकि सभी कार्य कर रही कंपनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली हो या हानि उठाने वाली हो) को अपनी आय का विवरणी फाइल करनी होती है, कार्य कर रही 41 प्रतिशत ऐसी कंपनियों ने वि.व. 2014-15 में अपनी आय की विवरणी को फाइल नहीं किया। आईटीडी को अन्तर का समाधान करना अपेक्षित है।

1.7.6 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों और कॉर्पोरेट निधार्रितियों की संख्या जैसा कि क्रमशः तालिका 1.9 और तालिका 1.10 में दिखाया गया है रिकार्ड में निर्धारितियों की कुल संख्या के साथ मेल नहीं खाती है। जैसा की तालिका 1.2 में उल्लेखित किया गया है (169.35 लाख मामलों को छोडकर जहाँ गैर-शून्य 26 एएस विद्यमान है किंतु रिकार्ड में कोई आईटीआर प्रविष्टि नहीं की गई)। तथापि, आयकर महानिदेशालय (लौजिस्टिक्स) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (विवरण 3-निर्धारितियों का आय-वार विश्लेषण) में उल्लेखित किया गया है कि ये आंकडे निर्धारितियों के आय वार विश्लेषण और अभिलेख पर निर्धारितियों की संख्या अभिलिखित करने की कार्य प्रणाली में अन्तर होने के कारण मेल नहीं खाते। तथापि, आईटीडी को निर्धारितियों की

18 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

19 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पॉच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

20 स्रोतः कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (सांख्यिकी डिविजन)

संख्या अभिलिखित करने के लिए अन्तरों से बचने हेतु समान कार्य प्रणाली को अपनाने की आवश्यक्ता है।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

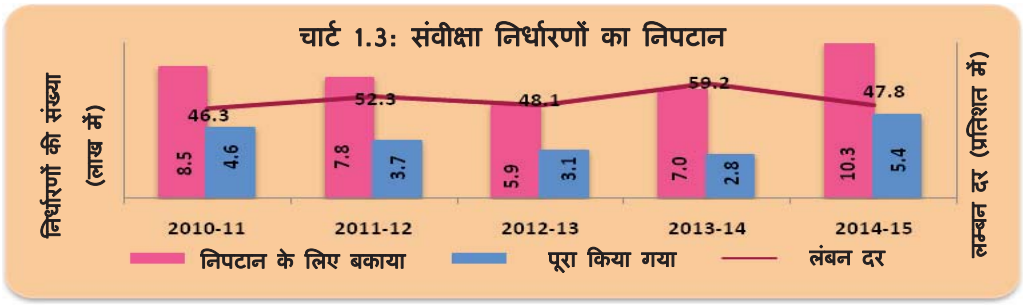

1.8.2 संवीक्षा निर्धारण के मामलों का निपटान वि.व. 2013-14 में 2.8 लाख से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 5.4 लाख हुआ जिसके परिणामस्वरूप लंबित दर घटी।

1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.9.1 निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान **(संख्या लाख में)**

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	प्रतिशतता में लम्बन
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुर्सधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.9.2 आईटीडी के 2014 के नागरिक चार्टर में बताया कि ब्याज के साथ प्रतिदाय निर्धारित समय-सीमाओं[21] में जारी किया जायेगा। तथापि, वि.व. 2014-15 के दौरान निपटान के लिए लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या निरंतर समान रही।

21 ई-रिटर्न के लिए छह महीने और धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अन्य रिटर्नों के लिए नौ महीने; और धारा 143(1) के अलावा मूल्यांकित मामलों में एक महीने के अंदर।

1.9.3 सरकार ने ₹ 1,12,163 करोड़ वापस किये जिसमें वि.व. 2014-15 में ₹ 5,332 करोड़ ब्याज (4.8 प्रतिशत) शामिल है। वि.व. 2013-14 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 6,598 करोड़ (वापस की गई राशि ₹ 89,060 करोड़ का 7.4 प्रतिशत) था।

1.10 असंग्रहीत मांग

1.10.1 निम्नलिखित तालिका 1.12 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 अवधि के दौरान लंबित असंग्रहीत मांग[22] की प्रवृति दर्शाती है।

तालिका 1.12: अंसग्रहीत मांग की स्थिति **(₹ करोड़ में)**

वितीय वर्ष	पिछले वर्षो के लंबित संग्रहण की मांग	वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग	कुल लंबित मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग (प्रतिशत में)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 *(93.0)*
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 *(94.9)*
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 *(96.0)*
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538 *(96.0)*
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032 *(96.1)*

स्रोतः मार्च 2015 के माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

1.10.2 बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों अर्थात निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पतियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पतियों के प्रबंधन के लिए प्राप्तिकर्ता की नियुक्ति और कारावास के बावजूद असंग्रहीत मांग बढ़ रही है। वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान वर्ष के अंत तक लंबित मांग 2.4 गुणा से अधिक बढ़ी। आईटीडी ने दर्शाया कि कुल लंबित मांग में से 96 प्रतिशत से अधिक मांग वि.व. 2014-15 में वसूल की जानी मुश्किल है। मार्च 2015 के माह के लिये मांग और संकलन विवरण ने विभिन्न कारक जैसे वसूली के लिये अपर्याप्त संपत्तियाँ, परिसमापन/बीआईएफआर के अंतर्गत मामलें निर्धारिती का पता न मिलना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई मांग आदि का जिनके कारण मांग की वसूली मुश्किल हुई विश्लेषण किया गया।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्रवाई करता है। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2013-14 में ₹ 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 2.4 लाख करोड़ हो गई थी।

22 स्रोतः संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिये सीएपी-।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी(ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	अपीलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.11.2 सीआईटी(ए) के पास लंबित अपील मामलों का निपटान वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में घटा है। जिसके परिणामस्वरूप लंबन में वृद्धि हुई। वि.व. 2014-15 में सीआईटी(अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के लगभग 1.1 गुना के बराबर है।

1.11.3 नीचे तालिका 1.14 31 मार्च 2015 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणें (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाऐं और अन्य मामले

प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटी	37,506	1,45,534.70
उच्च न्यायालय	34,281	37,684.00
सर्वोच्च न्यायालय	5,661	4,654.50
कुल	**77,448**	**1,87,873.20**

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायाल) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2014 को (76,922 मामलों) में ₹ 1.8 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2015 को (77,448 मामलों) में ₹ 1.9 लाख करोड़ तक बढ़ गई।

1.12 अभियोजन की प्रास्थिति

1.12.1 निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 तक शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन मामलों की प्रास्थिती **(संख्या)**

वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	निर्णित मामलें	अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त (प्रतिशत में)
2010-11	244	356	51	83	222 *(62.4)*
2011-12	209	593	14	397	182 *(30.7)*
2012-13	283	265	10	205	50 *(18.9)*
2013-14	641	664	41	561	62 *(9.3)*
2014-15	669	976	34	900	42 *(4.3)*

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

1.12.2 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि संयोजित मामलों की संख्या में वि.व. 2010-11 में 23.3 प्रतिशत से वि.व. 2014-15 में 92.2 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और अभियोजन मामलों में विमुक्तियाँ वि.व. 2010-11 में 62.4 प्रतिशत से तीव्र गिरावट के साथ वि.व. 2014-15 में 4.3 *प्रतिशत* हो गई, इसके अलावा, 31 मार्च 2015 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 4,156 थी।

1.13 परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

'करदाताओं के साथ सम्पर्क' के उद्देश्यों के तहत वि.व. 2014-15 के लिए आईटीडी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में इसके एक कार्य बिंदु के रूप में 'विभाग की सभी इमारतों में नागरिकों के चार्टर का प्रदर्शन' शामिल है। 2014 के लिए नागरिकों के चार्टर को संशोधित किया गया था और अप्रैल 2014 में अनुमोदित किया गया था। नागरिकों के चार्टर 2014 के पोस्टरों को पूरे देश के विभिन्न कार्यालयों की इमारतों में प्रदर्शन के लिए दिया गया था।

1.14 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.14.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर-प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की। आईटीडी की पहल के प्रति एएसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग को वि.व. 2011-12 से अनिवार्य कर दिया गया था। आईटीडी ने कर्नाटक और गोवा की पेपर विवरणी और पूर्ण भारत की ई-फाइल की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिये बैंगलुरू में केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया।

1.14.2 आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिसके साथ इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुन: तैयार करने की योजना बनाई। आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) भी तैयार किया। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं का लगभग 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डाटा की अधिक मात्रा का प्रबंधन और बेहतर संपर्क बनाता है।

1.14.3 आईटीडी ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना के प्रभावी उपयोग और अनुपालन में सुधार हेतु नॉन इन्ट्रूसिव इन्फोर्मेशन ड्राइवेन एप्रोच दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए डॉटा वेयरहाउस और बिजनेस इन्टेलीजेंस (डी डब्ल्यू एण्ड बी आई) प्लेटफार्म पर 'प्रोजेक्ट इन्साइट' शुरू किया है। यह डाटा वेयरहाउस, डाटा माइनिंग, वेब माइनिंग, भविष्यवाणी माँडलिंग, डाटा आदान-प्रदान मास्टर डाटा प्रबंधन, केंद्रीकृत प्रसंस्करण, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताओं को एकीकृत करेगा।

1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.15.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संशोधित किए जा रहे हैं। आईटीडी ने 2007 के निर्देश सं. 3 के अनुसरण में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक कार्य योजना बनाई और वि.व. 2014-15 में 1,66,229 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.15.2 तालिका 1.16 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 तक प्रत्येक पांच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.40
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.80
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.10
2013-14	14,423	8,950.66	26,322	8,610.12	24,313#	11,017.7#
2014-15	9,927	2,292.50	15,586	3,805.37	15,175	6,854.70

31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद, 31.3.2014 को बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के आंकड़ों को सम्बन्धित सीजआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹ 8,367.6 करोड़ की राशि वाले 20,834 के मामले से संशोधित किये गये थे।

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

1.15.3 वि.व. 2012-13 के बाद से आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन में कमी हुई है। वि.व. 2014-15 में एओ ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुख्य निष्कर्ष[23] के ₹ 10,565.90 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10,624 मामलों में से ₹ 3,767.5 करोड़ (35.6 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले 4,973 मामलों (46.8 *प्रतिशत*) में कार्रवाई की।

23 आय कर में ₹ दो लाख से अधिक और अन्य करों में ₹ 30,000 से अधिक की लेखापरीक्षा आपत्ति